न्यायालयः–अपर सैशन न्यायाधीश संख्या 01, अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारीः– **डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल, RJS**
(U.I.D. No.RJ00720)
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

निर्णय दिनांक–01.06.2026

सेशन प्रकरण संख्या –01/2013 (बाजवा नंबर)
CIS No. –130/2015

राजस्थान राज्य बनाम नसीबसिंह आदि

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या–434/2012 पुलिस थाना अनूपगढ . अपराध अन्तर्गत धारा – 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता एवं धारा 27 आयुध अधिनियम

भाग–प्रथम

A

परिवादी का नाम व पता	सर्वजीतकौर बेवा साहबसिंह, निवासी 4 पी जी एम ढाणी, तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक
अभियुक्त का नाम व पता	01. नसीबसिंह उर्फ गोरा पुत्र उजागरसिंह, निवासी 3 बी बी (ए), पुलिस थाना गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर 02. तेजसिंह उर्फ तेजी पुत्र मखनसिंह, निवासी चक 19 ए ढाणी, पुलिस थाना अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 03. हरवंतसिंह पुत्र हरनेकसिंह, निवासी चक 19 ए, पुलिस थाना अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर
विद्वान अपर लोक अभियोजक	श्री चन्द्रवीरसिंह,
विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण	श्री एन एस कामरा
विद्वान अधिवक्ता परिवादी	–

B

अपराध की दिनांक	04.08.2012
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	04.08.2012
आरोप पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	19.11.2012
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	12.11.2014
साक्ष्य आरंभ की दिनांक	01.04.2015
बहस अंतिम की दिनांक	01.06.2026

निर्णय दिनांक	01.06.2026
दण्डादेश की दिनांक	––

C
अभियुक्त का विवरण

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अंतर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा–428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिए अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	नसीबसिंह	19.08.2012	20.09.2013	302/34,307/34 भादस व 3/25 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	–	19.08.2012 से 20.09.2013
02	तेजसिंह उर्फ तेजी	19.08.2012	20.09.2013	302/34,307/34 भादस व 27 आयुध अधिनियम	दोषमुक्त	–	19.08.2012 से 20.09.2013
03	हरवंतसिंह	19.08.2012	24.12.2012	302/34,307/34 भादस	दोषमुक्त	–	19.08.2012 से 24.12.2012

भाग–द्वितीय
अभियोजन/बचाव/न्यायालय साक्षीगण की सूची

अ–अभियोजन साक्षीगण

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(प्रत्यक्षदर्शी साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
01.	पी.डब्ल्यू 1	बूटासिंह	आहत
02.	पी.डब्ल्यू 2	जसपालसिंह	घटना बाबत
03.	पी.डब्ल्यू 3	मलकीतसिंह	घटना बाबत
04.	पी.डब्ल्यू 4	जसविन्द्रसिंह उर्फ सोनू	घटना बाबत
05.	पी.डब्ल्यू 5	विरेन्द्रसिंह	घटना बाबत
06.	पी.डब्ल्यू 6	जयप्रकाश	घटना बाबत
07.	पी.डब्ल्यू 7	सर्वजीतकौर	परिवादीया
08.	पी.डब्ल्यू 8	कृपाल कौर	फर्द गिरफतारी
09.	पी.डब्ल्यू 9	अवतारसिंह	नक्शा मौका बाबत
10.	पी.डब्ल्यू 10	मोहनसिंह	घटना बाबत
11.	पी.डब्ल्यू 11	मिठूसिंह	घटना बाबत
12.	पी.डब्ल्यू 12	जसवंतसिंह उर्फ पपू	घटना बाबत
13.	पी.डब्ल्यू 13	कृष्ण कुमार	फर्द बरामदगी
14.	पी.डब्ल्यू 14	स्वर्णसिंह	फर्द बरामदगी
15.	पी.डब्ल्यू 15	महावीर प्रसाद	फर्द बरामदगी
16.	पी.डब्ल्यू 16	तरसेमसिंह	फर्द बरामदगी

17.	पी.डब्ल्यू 17	डॉ. के एस कामरा	चिकित्सीय साक्षी
18.	पी.डब्ल्यू 18	डॉ. पवन गोयल	चिकित्सीय साक्षी
19.	पी.डब्ल्यू 19	महावीर प्रसाद	केरियर
20.	पी.डब्ल्यू 20	कमललाल	मालखाना प्रभारी
21.	पी.डब्ल्यू 21	अमरजीत चावला	अनुसंधान अधिकारी
22.	पी.डब्ल्यू 22	धूपसिंह	फोटोग्राफर
23.	पी.डब्ल्यू 23	केसरीचंद	अनुसंधान अधिकारी

ब–बचाव साक्षी

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
––	––	––	––

स–न्यायालय साक्षी

क्र.सं.	रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद साक्षी, पुलिस साक्षी, विशेषज्ञ साक्षी, चिकित्सकीय साक्षी, पंच साक्षी, अन्य साक्षी)
––	––	––	––

अभियोजन/बचाव/न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
01	प्रदर्शपी–01	पुलिस बयान धारा 161 सीआरपीसी बूटासिंह
02	प्रदर्शपी–02	फर्द जब्ती खाली खोखे
03	प्रदर्शपी–03	मलकीतसिंह द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
04	प्रदर्शपी–04	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पी सी संदीपसिंह
05	प्रदर्शपी–05	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पी सी विरेन्द्रसिंह
06	प्रदर्शपी–06	परिवादी सर्वजीतकौर द्वारा मुकदमा दर्ज करवाने बाबत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
07	प्रदर्शपी–07	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पीसी कृपालकौर
08	प्रदर्शपी–08	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पीसी अवतारसिंह
09	प्रदर्शपी–09, 9 ए	नक्शा मौका, हालात मौका
10	प्रदर्शपी–10	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पीसी मोहनसिंह
11	प्रदर्शपी–11	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पीसी मिठूसिंह
12	प्रदर्शपी–12	पुलिस बयान धारा 161 सीआर पीसी जसवंतसिंह
13	प्रदर्शपी–13	फर्द जब्ती छर्रे
14	प्रदर्शपी–14	फर्द बरामदगी बंदूक
15	प्रदर्शपी–15, 15–ए	नक्शा मौका बरामदगी स्थल, हालात मौका

16	प्रदर्शपी-16	फर्द बरामदगी पिस्तोल 12 बोर
17	प्रदर्शपी-17	खाका पिस्तोल 12 बोर
18	प्रदर्शपी-18, 18-ए	नक्शा मौका बरामदगी स्थल 12 बोर पिस्तोल, हालात मौका
19	प्रदर्शपी-19	फर्द जब्ती पारचात मृतक मंगलसिंह
20	प्रदर्शपी-20	फर्द पंचायतनामा लाश मंगलसिंह
21	प्रदर्शपी-21	फर्द सील एक्स-रे प्लेट डेड बॉडी मंगलसिंह
22	प्रदर्शपी-21	पोस्ट मार्टम रिपोर्ट
23	प्रदर्शपी-22	एक्स-रे रिपोर्ट
24	प्रदर्शपी-23	पुलिस उप अधीक्षक अनूपगढ का पत्र
25	प्रदर्शपी-24	चोट प्रतिवेदन बूटासिंह
26	प्रदर्शपी-25	चोट प्रतिवेदन मलकीतसिंह
27	प्रदर्शपी-26	एक्स-रे रिपोर्ट बूटासिंह
28	प्रदर्शपी-28	मालखाना रजिस्टर
29	प्रदर्शपी-28	अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर का पत्र
30	प्रदर्शपी-29,30	पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर का एफएसएल को लिखा पत्र
31	प्रदर्शपी-31	प्रथम सूचना रिपोर्ट
32	प्रदर्शपी-32	फर्द सूरत लाश मृतक मंगलसिंह
33	प्रदर्शपी-33	फर्द रसीद लाश
34	प्रदर्शपी-34	फर्द गिरफतारी मुलजिम हरवंतसिंह
35	प्रदर्शपी-35	फर्द गिरफतारी मुलजिम नसीबसिंह
36	प्रदर्शपी-36	फर्द गिरफतारी मुलजिम तेजसिंह
37	प्रदर्शपी-37	फर्द इतला मुलजिम तेजसिंह
38	प्रदर्शपी-38	फर्द इतला मुलजिम नसीबसिंह
39	प्रदर्शपी-39, 40	एफ एस एल रिपोर्ट
40	प्रदर्शपी-41,42,43	पुलिस अधीक्षक, श्रीगंगानगर का पत्र
41	प्रदर्शपी-44, 45	प्राप्ति रसीद विधि विज्ञान प्रयोगशाला
42	प्रदर्शपी-46 ता 50	रोजनामचा आम
43	प्रदर्शपी-51 ता 57	फोटोग्राफस
44	प्रदर्शपी-58	अभियोजन स्वीकृति
45	प्रदर्शपी-59 ता 63	चिट दस्तख्ती
46	प्रदर्शपी-64	एक्स-रे प्लेट
47	प्रदर्शपी-65	चिट दस्तख्ती नमूना सील

नोट-सहवन से दो दस्तावेज पर प्रर्दश पी 28 अंकित हुआ।

ब-बचाव प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
-	--	--

स–न्यायालय प्रदर्श

क्र.सं.	प्रदर्श नंबर	विवरण
–	––	––

द–भौतिक वस्तुएं

क्र.सं.	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
01	आर्टिकल–01	देशी पिस्तोल
02	आर्टिकल–02 व 03	टी शर्ट व बनियान
03	आर्टिकल–04	चार कारतूस के छर्रे
04	आर्टिकल–05	कारतूस के खाली खोखे
05	आर्टिकल–06	दो नाली बंदूक

अपराध अन्तर्गत धारा 307, 302,34 भा०दं०सं०

एवं धारा 27, 3/25 आयुध अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांकः 01.06.2026

01. यह अभियोग पत्र थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ की ओर से अभियुक्त तेजसिंह उर्फ तेजी के विरूद्ध अपराध धारा 302, 307, 34 भा0दं0सं0 व 27 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त नसीबसिंह उर्फ गोरा के विरूद्ध अपराध धारा 302, 307,34 भा0दं0सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट (नसीबसिंह के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में अभियोजन स्वीकृति हेतु धारा 173 (8) सीआरपीसी के तहत पेंडिग रखते हुए) एवं अभियुक्त हरवंतसिंह के विरूद्ध अपराध धारा 302, 307,34 भा0दं0सं0 के तहत न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, अनूपगढ के समक्ष प्रस्तुत हुआ, जिस पर उक्त न्यायालय द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्त अपराधों का प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर, प्रकरण इस न्यायालय द्वारा विचारण योग्य होने से धारा 209 दंड प्रकिया संहिता के तहत इस न्यायालय को सुपुर्द होकर प्राप्त होने पर दिनांक 15.01.2013 को न्यायालय में पंजीबद्ध हुआ। तत्पश्चात अभियुक्त नसीबसिंह के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में तितम्बा चार्जशीट पेश हुई।

02. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्यानुसार दिनांक 04.08.2012 को परिवादिया सर्वजीतकौर ने थानाधिकारी, पुलिस थाना अनूपगढ के समक्ष एक लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 इस आशय की पेश की कि वह अपने लड़के मंगलसिंह के साथ चक 4 पी जी एम ढाणी में

रहती है। आज दिनांक 04.08.2012 को सुबह करीब चार बजे उनकी ढाणी के करीब एक बीघा दूर सड़क पर दो गाड़िया आकर रूकी जिनमें हरविन्द्रसिंह पुत्र मलकीतसिंह, मलकीतसिंह पुत्र गुरदेवसिंह व जस्सासिंह चक 75 जी बी वाला उनकी ढाणी के बार आये और उसके लड़के मंगलसिंह को आवाज मारने लगे। उसका लड़का, वह एवं उसकी लड़की उठकर बाहर आये, उन्होंने लड़के मंगलसिंह को थोड़ा दूर ले जाकर बात की और उसके लड़के को लेकर गाड़ियों की तरफ चले गये। गाड़ियों में 7–8 व्यक्ति और बैठे थे जो उसके लड़के को एक गाड़ी में बैठाकर ले गये। फिर सुबह करीब साढे 6 सात बजे जस्सासिंह वापिस आया और बताया कि मंगासिंह का एक्सीडेंट हो गया है और उसे लेकर अनूपगढ अस्पताल आया जहां उसे पता लगा कि उसके लड़के को गोली लगी है जिससे वह मर गया है और उसकी लाश अस्पताल में पड़ी है। उसके लड़के को हरविन्द्रसिंह आदि ने गोली मार कर मार दिया जो उसे घर से लेकर गये थे इत्यादि.....। उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस थाना अनूपगढ में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 434/2012 अन्तर्गत धारा 302, 147, 149 भारतीय दण्ड संहिता व 27 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर बाद अनुसंधान अभियुक्त तेजसिंह उर्फ तेजी के विरूद्ध धारा 302, 307, 34 भा0 दं0 सं0 व 27 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त नसीबसिंह उर्फ गोरा के विरूद्ध धारा 302, 307, 34 भा0 दं0 सं0 व 3/25 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्त हरवंतसिंह के विरूद्ध धारा 302, 307, 34 भा0 दं0 सं0 का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उक्त अभियुक्तगण के विरूद्ध उक्तानुसार अभियोग पत्र पेश किया गया।

03. बहस आरोप उभय पक्ष सुनने के पश्चात् अभियुक्त नसीबसिंह के विरूद्ध धारा 302/34, 307/34 भा0 दं0 सं0, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट, अभियुक्त तेजसिंह उर्फ तेजी के विरूद्ध धारा 302/34, 307/34 भा0 दं0 सं0, धारा 27 आर्म्स एक्ट एवं अभियुक्त हरवंतसिंह के विरूद्ध धारा 302/34, 307/34 भा0 दं0 सं0 के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाये व समझाये गये तो अभियुक्तगण ने आरोप सुन व समझकर अपराध से इन्कार कर अन्वीक्षा चाही।

04. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिए मौखिक साक्ष्य में उपर्युक्तानुसार साक्षीगण के बयान लेखबद्ध करवाये गये तथा प्रलेखीय साक्ष्य में उपर्युक्तानुसार दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये गये।

05. अभियुक्तगण के कथन अंतर्गत धारा 313 दं0 प्र0 सं0 अभिलिखित किये गये

जिसमें अभियुक्तगण ने अभियोजन साक्ष्य को गलत बताते हुए कथन किया कि वे निर्दोष है, उन्हें झूठा फंसाया गया है। अभियुक्तगण की ओर से कोई साक्ष्य सफाई पेश नहीं की गई ।

06. बहस अन्तिम उभयपक्ष सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण का दौराने बहस तर्क रहा है कि प्रकरण में महत्वपूर्ण साक्षीगण पी ड 01 बूटासिंह, पी डब्ल्यू 3 मलकीतसिंह, पी डब्ल्यू 4 जसविन्द्रसिंह उर्फ सोनू, पी डब्ल्यू 5 विरेन्द्रसिंह, पी डब्ल्यू 6 जयप्रकाश, पी डब्ल्यू 8 कृपालकौर, पी डब्ल्यू 9 अवतारसिंह, पी डब्ल्यू 10 मोहनसिंह, पी डब्ल्यू 11 मिठूसिंह, पी डब्ल्यू 12 जसवंतसिंह उर्फ पप्पू, पी डब्ल्यू 14 स्वर्णसिंह, पी डब्ल्यू 16 तरसेमसिंह ने अभियोजन कहानी का समर्थन नहीं किया है एवं उक्त समस्त गवाहान पूर्णतया पक्षद्रोही घोषित हुए हैं । अभियोजन पक्ष अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित अपराध संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषमुक्त किये जाने का निवेदन किया गया।

07. इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक की ओर से दौराने बहस तर्क रहा है कि अभियोजन की ओर से प्रस्तुत मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोपित आरोप युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित है। अंत में अभियुक्तगण को आरोपित अपराध में दोषसिद्ध किए जाने का निवेदन किया गया।

08. उभय पक्ष के तर्को पर विचार व मनन किया गया। सम्पूर्ण पत्रावली व सुसंगत विधि का अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। प्रकरण के निस्तारण हेतु निम्न अवधारणीय बिंदु तय किया जाना उचित व आवश्यक प्रतीत होता है–

1. आया अभियुक्तगण ने दिनांक 04.08.2012 को प्रातः लगभग 4–6 बजे के बीच मौजा 4 पी जी एम में अपने साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर एक राय होकर पिस्तोल से फायर कर परिवादिया सर्वजीतकौर के लड़के मंगलसिंह के गोली मार कर उसकी हत्या कारित की ?
2. आया अभियुक्तगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर साथी अभियुक्तगण के साथ मिलकर बूटासिंह को जान से मारने के सामान्य आशय से उस पर पिस्तोल से फायर किया जिससे गोली उसके सिर में लगी। यदि उससे उसकी मृत्यु हो जाती तो अभियुक्तगण हत्या के दोषी होते ?
3. आया अभियुक्त तेजासिंह ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अपनी लाईसेंसी पिस्तोल से मंगलसिंह व बूटासिंह पर फायर कर लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन कर आयुध अधिनियम की धारा 27 के तहत दण्डनीय अपराध किया ?
4. आया अभियुक्त नसीबसिंह ने उक्त दिनांक , समय व स्थान पर अपनी

लाईसेंसी पिस्तोल से मंगलसिंह व बूटासिंह पर फायर कर लाईसेंस की शर्तो का उल्लंधन कर आयुध अधिनियम की धारा 3/25 के तहत दण्डनीय अपराध किया ?

5. यदि हां तो उसके लिये समुचित दण्ड क्या होगा ?

09. प्रकरण में उपर्युक्त अवधारणीय बिंदुओ के संदर्भ में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य का क्रमवार संक्षेप में अवलोकन किया जाना अपेक्षित है, जो निम्नानुसार हैः–

10. इस प्रकरण का उद्भव परिवादिया सर्वजीतकौर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 06 के आधार पर हुआ है। अभियोजन पक्ष की ओर से परिवादिया सर्वजीतकौर बतौर पी डब्ल्यू 7 परीक्षित हुई है, जो अपने सशपथ बयानों में कथन करती है कि लगभग सात साल पहले सुबह चार बजे मलकीतसिंह, हरविन्द्रसिंह, जस्सासिंह ने उसके लड़के को बाहर बुलाया और अपने साथ ले गये। उसे बताया कि एक्सीडेंट हुआ है, बाद में उसे पता चला कि उसके लड़के को गोली मार दी। उसने मुकदमा दर्ज करने हेतु पुलिस थाना अनूपगढ में प्रार्थना पत्र दिया जो प्रदर्श पी 6 है जिस पर एक्स स्थान पर उसकी अंगूठा निशानी है।

11. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 1 बूटासिंह अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि दिनांक 03.08.12 को जयप्रकाश व जसविन्द्र घर से सरवन की दुकान पर लेकर आये फिर 17 ए ढाणी में उनके रिश्तेदारों के घर गये। वहां और भी लोग थे, रात को 2 बजे खेत में थे, वहां रास्ता बना रहे थे। वे उन्हें कहने लगे कि रास्ता बनाना बंद कर दो, सुबह बात करेंगे । उसके बाद मलकीतसिंह, मंगलसिंह व जस्सासिंह ने एक दो फायर किये। फिर मंगलसिंह व जस्सासिंह वापिस आये, वह कहने लगे कि उनके पास सामान खत्म हो गया है फिर वह दोबारा सामान लेकर आये। फिर दुबारा आते ही मंगलसिंह, जस्सासिंह, पवन व मलकीतसिंह से फायरिंग की। थोड़ी देर बाद वह चिल्लाने लगे कि गोली लग गई है, गोली मंगलसिंह के लगी थी। ध्यान नहीं कि मंगलसिंह के गोली किसने मारी। इस गवाह को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित करवाया गया है।

12. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 2 जसपालसिंह अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि तीन चार साल हो गये, शाम को उसके दोस्त अमनदीप का फोन आया कि उसके पापा का फोन आयेगा, बात कर लेना फिर उनका फोन आया और बताया

कि उनके मामाजी मलकीतसिंह अनूपगढ आये हुए है, मिस्त्री की दुकान पर बैठे है, वहां जाकर मिल लो। उसने उनके पास जाकर पूछा तो बताया कि उनका खेत चक 19 ए में है, खेत के रास्ते में मिट्टी डालनी है। उसने जयप्रकाश व अन्य को फोन कर दिया, तीन चार लड़के आ गये, उसके बाद वे गोरी पैलेस होटल चले गये फिर मंगलसिंह वहां आ गया। उसके बाद मंगलसिंह उनके साथ खेत चला गया फिर वहां डोली से खेत में मिट्टी डालने लगे वहां दो आदमी आये, वह उनको नहीं जानता। उन्होंने कहा कि यहां से चले जाओ। उसके बाद 7–8 आदमी आये, दोनों पक्षों में गोली बारी होने लगी फिर मंगलसिंह बंदूक लेकर फायर करता हुआ सामने वाली पार्टी की तरफ काफी आगे चला गया । मंगलसिंह ने आवाज लगाई कि उसे गोली लग गई है फिर उसने मंगल को उठाया व गाड़ी की तरफ भागा। मंगल के सीने में गोली लगी हुई थी, वे गाड़ी में डालकर एस पी शर्मा के अस्पताल लेकर गये। फिर उसे सरकारी अस्पताल लेकर गये। डाक्टर केशव ने मंगलसिंह की जांच की तो उन्होंने मंगल को मृत होना बताया। अस्पताल में सीआई साहब आये, उसने घटना के बारे में बताया। प्रतिपरीक्षा में यह साक्षी कथन करता है कि मलकीतसिंह को नहीं जानता, उसका खेत कहां है, उसे पता नहीं। जिस खेत का रास्ता वे बना रहे थे, वह खेत किसका था, पता नहीं। जब मंगल के गोली गली, तब गोली बारी दोनों तरफ से हो रही थी। मंगल के किसकी गोली लगी, उसे पता नहीं।

13. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 3 मलकीतसिंह अपने सशपथ बयानों में कथन करता है कि दिनांक 03.08.12 को वह रूपनगर अपने घर पर ही था, अनूपगढ नहीं आया। उसका हरनेकसिंह व गुरतेजसिंह के साथ कोई विवाद नहीं है। उसका मुलजिमान के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने पुलिस थाना अनूपगढ में मुकदमा दर्ज करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। मंगलसिंह कौन है, वह नहीं जानता व उसकी मृत्यु कैसे हुई, उसे ध्यान नहीं है। इस गवाह को अभियोजन की प्रार्थना पत्र पक्षद्रोही घोषित किया गया है। अपर लोक अभियोजक द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में यह कहना गलत है कि प्रा0 पत्र प्रदर्श पी 3 का हिस्सा ए से बी निवेदन है......... कि जावे, उसने लिखवाकर पुलिस थाना अनूपगढ में दिया हो। यह कहना गलत है कि दिनांक 03.08.12 को रास्ता के विवाद को लेकर मुलजिमान ने उनके उपर बंदूक से गोलिया चलाई हो। यह कहना गलत है कि हाजिर अदालत मुलजिम गुरतेजसिंह द्वारा चलाई गई गोली से उसके साथ गये मंगलसिंह की मृत्यु हुई हो। यह

कहना गलत है कि हाजिर अदालत मुलजिमान द्वारा की गई फायरिंग में उसके भी बंदूक के छर्रे लगे हों। उक्त साक्षी ने अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि मुलजिमान को नहीं जानता, किसी ने मुलजिमान के खिलाफ झूठा मुकदमा दर्ज करवा दिया होगा। थाने में उसके खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे जो घटना के कई दिन बाद कराये थे। प्रदर्श पी 3 में किसने क्या लिखवाया, उसे पता नहीं है।

14. अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 4 जसविन्द्रसिंह, पी डब्ल्यू 5 विरेन्द्रसिंह, पी डब्ल्यू 6 जयप्रकाश, पी डब्ल्यू 7 सर्वजीतकौर, पी डब्ल्यू 8 कृपालकौर, पी डब्ल्यू 9 अवतारसिंह, पी डब्ल्यू 10 मोहनसिंह, पी डब्ल्यू 11 मिठूसिंह, पी डब्ल्यू 12 जसवंतसिंह उर्फ पप्पू, पी डब्ल्यू 14 स्वर्णसिंह व पी डब्ल्यू 16 तरसेमसिंह पक्षद्रोही घोषित हुए हैं, जो अभियोजन कहानी का तनिक भी समर्थन नहीं करते हैं ।

15. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 13 कृष्ण कुमार अपनी साक्ष्य में दिनांक 07.08.2012 को घटना स्थल रोही चक 19 ए ए में एफएसएल टीम प्रभारी सुरेन्द्र जांगिड़ द्वारा अपने सामने घटना स्थल पर खड़े कीकर के पेड़ में से कुल चार पीस छर्रे निकालकर छर्रो को एक कपड़ा की थैली में डालकर सील मोहर कर मौके पर फर्द जब्ती कारतूस प्रदर्श पी 13 तैयार करना जिस पर अपने हस्ताक्षर होना, दिनांक 22.08.12 को गिरफतारशुदा मुलजिम तेजासिंह की इतला से उसके मकान 19 ए ढाणी में बंदूक जरिये फर्द प्रदर्श पी 14 बरामद करना, बरामदगी स्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी 15, हालात मौका प्रदर्श पी 15 ए पर अपने हस्ताक्षर होना, दिनांक 26.08.12 को मुलजिम नसीबसिंह की इतला से तेजासिंह के घर से एक पिस्तोल 12 बोर बरामद कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 16 पर अपने हस्ताक्षर होना, खाका पिस्तोल प्रदर्श पी 17, नक्शा मौका बरामदगी स्थल पिस्तोल 12 बोर प्रदर्श पी 18 पर अपने हस्ताक्षर होना कथन करता है।

16. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 15 महावीर प्रसाद अपने सशपथ बयानों में दिनांक 29.09.12 को सीओ कार्यालय सूरतगढ में सिपाही के पद पर तैनात होना, उस रोज श्री केसरीचंद जांदू पुलिस उप अधीक्षक, सूरतगढ द्वारा इस मुकदमा में मृतक मंगलसिंह की एक्स–रे प्लेट पूर्व में पत्रावली में संलग्न थी , उसके व सिपाही भागीरथ के सामने सील्ड करना, फर्द सील एक्स–रे प्लेट प्रदर्श पी 21 पर अपने

हस्ताक्षर होना कथन करता है।

17. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 17 डॉ. के एस कामरा अपने सशपथ बयानों में दिनांक 04.08.12 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत रहते पुलिस प्रतिवेदन एवं सीएमएचओ, श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में मेडिकल बोर्ड के सदस्य व पवन गोयल द्वारा मृतक मंगलसिंह के शव का परीक्षण करना, मृतक के सीने में बांयी तरफ एक गन एंट्रेस घाव होना, जिससे फेफड़ा फटा हुआ होना, बोर्ड की राय में मृत्यु का कारण गन शोट के कारण आघात के कारण अत्यधिक खून का बह जाना, मृतक के शरीर, छाती, पेट, एब्डामन का एक्स-रे लेना जिसमें एक गोल छर्रा टी 11 पर पाया जाना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 पर स्वयं व बोर्ड सदस्य डॉ. पवन गोयल के हस्ताक्षर, बोर्ड सदस्यों की राय, एक्स-रे की राय अंकित होना, मृतक की छाती की एक्स-रे रिपोर्ट प्रदर्श पी 22 पर अपने हस्ताक्षर व राय अंकित होना, दिनांक 12.09.12 को पुलिस उप अधीक्षक वृत, सूरतगढ ने उसके समक्ष प्रार्थना पत्र पेश कर हथियार का प्रकार जानना चाहा जिस पर बोर्ड सदस्य ने बताया कि छर्रा नहीं निकाला जा सकता था व मौका पर उच्च अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था। आर्म्स एक्सपर्ट की राय लेने की सलाह दी गई। प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 23 है जिस पर उसके हस्ताक्षर व राय अंकित होना कथन करता है।

18. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 18 डॉ. पवन गोयल अपने सशपथ बयानों में दिनांक 04.08.2012 को सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र में चिकित्सा अधिकारी के पद पर कार्यरत होना, उस दिन पुलिस प्रतिवेदन एवं सीएमएचओ श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में मेडिकल बॉर्ड में डॉ. केएस कामरा की अध्यक्षता में मंगल सिंह का पोस्टमार्टम करना, पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी 21 पर अपने हस्ताक्षर होना, उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर मजरूब बूटा सिंह की चोटों का परीक्षण किया जाना जिसके कुल चार चोटें पाई जाना, चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 24 पर अपने हस्ताक्षर होना, उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर मलकीत सिंह की चोटों का मुआयना कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्शपी-25 तैयार करना, बूटासिंह की एक्स-रे रिपॉर्ट प्रदर्शपी-26, एक्स-रे प्लेट प्रदर्शपी-27 होना कथन करता है।

19. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 19 महावीर प्रसाद अपने सशपथ बयानों में

प्रकरण का वजह सबूत मालखाना इंचार्ज से प्राप्त कर एसपी आफिस श्रीगंगानगर से अग्रेषण पत्र जारी करवाकर एफएसएल बीकानेर में जमा करवाने, रसीद प्राप्त कर मालखाना इंचार्ज को सुपुर्द करने, वजह सबूत सील्ड हालात में रहने बाबत कथन करता है।

20. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 20 कमललाल अपने सशपथ बयानों में पुलिस थाना अनूपगढ़ में मालखाना में पदस्थापित होना, दिनांक 04.08.2012 को श्री अमरजीत चावला द्वारा प्रकरण का एक पैकेट सील्डशुदा मालखाना में जमा करवाना, दिनांक 22.08.2012 व 26.08.2012 को एक पैकेट मालखाना में जमा करवाया जिसका मालखाना रजिस्टर में इंद्राज प्रदर्शपी.28 होना, दिनांक 04.09.2012 को छैलसिंह द्वारा चिट्ठी जारी करवाकर ले जाना, दिनांक 10.09.2012 को सील पैकेट जमा करवाकर रसीद प्राप्त करना, वजहसबूत अपने पास सील्ड हालत में रहना कथन करता है।

21. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 21 अमरजीत चावला अपने सशपथ बयानों में दिनांक 04.08.2012 को पुलिस थाना अनूपगढ़ में एसएचओ के पद पर तैनात होना, उस रोज परिवादिया सर्वजीत कौर द्वारा लिखित रिपोर्ट प्रदर्श पी 6 मुकदमा दर्ज करने हेतु उसके समक्ष पेश करना, प्रदर्शपी.6 के आधार पर एफआईआर प्रदर्शपी. 31 दर्ज होकर प्रकरण का अनुसंधान स्वयं द्वारा शुरू किया जाना, दौराने अनुसंधान मृतक मंगलसिंह की लाश का फर्द सूरतहाल प्रदर्शपी. 32, पंचनामा लाश प्रदर्शपी. 20, मृतक मंगलसिंह का पोस्टमार्टम करवाकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्शपी. 21, रसीद लाश सुपुर्दगी प्रदर्शपी. 33 तैयार करना, मृतक मंगल सिंह के खून आलूदा पारचात कब्जा पुलिस में लेकर फर्द जब्ती प्रदर्शपी. 19 तैयार कर पारचात को सीलमोहर करना, दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध कर शामिल पत्रावली करना, दौराने अनुसंधान मलकीत सिंह द्वारा भी मुकदमा दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 3 देने पर शामिल मिसल करना, घटनास्थल का नक्शामौका प्रदर्शपी. 09, हालात मौका प्रदर्शपी. 09 ए तैयार करना, घटनास्थल से खाली खोखे, चले हुए कारतूस व दो जिंदा कारतूस बरामद कर फर्द जब्ती प्रदर्शपी.02 तैयार करना, घटनास्थल से कारतूसों से निकले छर्रे, घटनास्थल पर स्थित कीकर के पेड के तने से निकाल कर एफएसएल टीम प्रभारी द्वारा उसे दिए

जाने पर सीलमोहर कर फर्द प्रदर्शपी. 13 तैयार करना, मजरूब बुटासिंह व मलकीत सिंह का मेडिकल परीक्षण करवाकर चोट प्रतिवेदन प्रपत्र प्रदर्शपी. 24 व 25, बुटासिंह की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्शपी. 26, मृतक मंगल सिंह की बॉडी की एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्शपी.22 प्राप्त कर शामिल पत्रावली करना, मुलजिम हरवंतसिंह की फर्द गिरफ्तारी व जामातलाशी प्रदर्शपी. 34, मुलजिम नसीब सिंह की फर्द गिरफ्तारी व जामातलाशी प्रदर्शपी. 35, मुलजिम तेज सिंह की फर्द गिरफ्तारी व जामातलाशी प्रदर्शपी. 36 तैयार करना, फर्द इतला मुलजिम तेज सिंह प्रदर्शपी. 37 तैयार करना, तेज सिंह द्वारा इत्तला के मुताबिक अपनी रिहायशी ढ़ाणी से एक बंदूक निकाल कर पेश करने पर कब्जा पुलिस लेकर फर्द बरामदगी प्रदर्शपी. 14 तैयार करना, नक्शामौका बरामदगी स्थल प्रदर्शपी. 15, हालातमौका प्रदर्शपी. 15ए तैयार करना, मुलजिम गौरा उर्फ नसीब सिंह द्वारा स्वेच्छा से दी गई इत्तला की फर्द प्रदर्शपी. 38 तैयार करना, मुलजिम नसीब सिंह द्वारा अपनी इत्तला के मुताबिक एक पिस्तौल कब्जा पुलिस में लेकर सीलमोहर कर फर्द बरामदगी प्रदर्शपी. 16, खाका पिस्तोल प्रदर्शपी. 17, नक्शामौका बरादमगी स्थल प्रदर्शपी. 18, हालात मौका प्रदर्शपी. 18ए, फोरेसिंक सांईस मोबाईल यूनिट श्रीगंगानगर की रिपोर्ट प्रदर्शपी. 39, श्रीमान् पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को लिखा हुआ पत्र प्रदर्शपी. 40, रसीद एफएसएल मोबाईल यूनिट श्रीगंगानगर प्रदर्शपी. 41 शामिल पत्रावली करना, एसपी कार्यालय श्रीगंगानगर से जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी. 30, उपनिदेशक क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला बीकानेर को लिखा पत्र प्रदर्शपी. 42 व 43, एसपी कार्यालय से जारी अग्रेषण पत्र प्रदर्शपी. 29, एफएसएल बीकानेर की रसीद प्रदर्शपी. 44 व 45, रवानगी का रोजनामचा आम प्रदर्शपी. 46, कायमी मुकदमा का रोजनामचा आम प्रदर्शपी. 47, थाना वापसी का रोजनामचा आम प्रदर्शपी. 48, एफएसएल हेतु महावीर प्रसाद की रवानगी व वापसी का रोजनामचा आम की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी. 49 व 50, मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्शपी. 28, मृतक मंगलसिंह के शव के लिए गये फोटोग्राफ्स प्रदर्शपी. 51 ता 55, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्शपी. 56 व 57, अभियोजन स्वीकृति आदेश प्रदर्शपी. 58, मजरूब बुटासिंह की एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी. 27, मृतक मंगलसिंह की बॉडी की एक्सरे प्लेट प्रदर्शपी. 21 होना, अपने अनुसंधान के आधार पर आरोपी तेजा सिंह उर्फ तेजी के विरूद्ध धारा 302,307,34 आईपीसी व 27 आर्म्स एक्ट, नसीब सिंह उर्फ गौरा के विरूद्ध जुर्म

धारा 302, 307, 34 आईपीसी व 3/25 आर्म्स एक्ट व हरवंत सिंह के विरूद्ध जुर्म धारा 302, 307, 34 आईपीसी में प्रमाणित पाया जाना, उक्त प्रकरण की पत्रावली अनुसंधान हेतु उच्चाधिकारी के आदेशानुसार श्री केसरीचंद जांदू डिप्टी एसपी के पास भिजवाने, प्रकरण का वजह सबूत न्यायालय की आज्ञा से खोलना, पिस्तौल देशी आर्टिकल 1, चिट दस्तखती प्रदर्शपी.59, टीशर्ट व बनियान आर्टिकल 2 व 3, चिट दस्तखती पारचात प्रदर्शपी. 60, चिट दस्तखती छर्रे प्रदर्शपी. 61, चार कारतूस के छर्रे आर्टिकल 4, कारतूस के खाली खोखे आर्टिकल 5, चिट दस्तखती खाली खोखे कारतूस प्रदर्शपी. 62, चिट दस्तखती बंदूक प्रदर्शपी. 63 व दो नाली बंदूक बारह बोर आर्टिकल 6 है, कथन करता है।

22. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 22 धूपसिंह अपने सशपथ बयानों में दिनांक 04.08.2012 को अनूपगढ में कानि. के पद पर तैनात होना, उस रोज थानाधिकारी अमरजीत चावला के आदेश पर सीएचसी अनूपगढ के मोर्चरी रूम में मृतक मंगलसिंह के शव के फोटोग्राफ्स प्रदर्श पी 51 ता 55 लेने बाबत कथन करता है।

23. अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 23 केसरीचंद अपने सशपथ बयानों में दिनांक 02.09.2012 को सीओ सूरतगढ के पद पर तैनात होना, एसपी श्रीगंगानगर के आदेश से मुकदमा नं0 434/2012 की पत्रावली प्राप्त होने पर गवाहान के बयान 161 सीआर पी सी उनके बोले अनुसार लेखबद्ध करना, राजकीय चिकित्सा प्रभारी, चिकित्सालय अनूपगढ को दिनांक 10.09.2012 को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिये पत्र प्रदर्श पी 23 लिखना, मृतक मंगलसिंह के शव की एक्स-रे प्लेट प्राप्त कर फर्द जब्ती प्रदर्श पी 21 तैयार करना, एक्स-रे प्लेट प्रदर्श पी 64, नमूना चिट सील प्रदर्श पी 65, एफएसएल रिपोर्ट प्रदर्श पी 57 होना, तफतीश से मुलजिम तेजसिंह उर्फ तेजी के विरूद्ध जुर्म धारा 302, 307,34 आईपीसी व 27 आयुध अधिनियम, मुलजिम नसीबसिंह के धारा 302, 307,34 आईपीसी व 3/25 आयुध अधिनियम तथा मुलजिम हरबंशसिंह के विरूद्ध धारा 302, 307,34 आईपीसी में प्रमाणित पाये जाने पर एसपी के आदेश से पत्रावली अग्रिम अनुसंधान हेतु मनोज कुमार एडीशनल एसपी, श्रीगंगानगर को सुपुर्द करना कथन करता है।

24. उपरोक्त अवधारणीय बिन्दुओं के क्रम में अभियुक्तगण पर आरोपित आरोप के संबंध में जहां तक मृतक मंगलसिंह की मृत्यु की प्रकृति का प्रश्न है, अभियोजन कथानक के अनुसार अभियुक्तगण के द्वारा सामान्य आशय के अग्रसर में पिस्तोल से फायर कर मंगलसिंह के गोली मार दी गई जिससे उसकी मृत्यु हो गई। इस संबंध में अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित साक्षी पी डब्ल्यू 17 डॉ. के. एस. कामरा व पी डब्ल्यू 18 डॉ. पवन गोयल ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 04.08.2012 को समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनूपगढ में चिकित्साधिकारी के पद पर कार्यरत होना, उस दिन पुलिस प्रतिवेदन एसएचओ अनूपगढ व सीएमएचओ श्रीगंगानगर के आदेश की पालना में मेडिकल बोर्ड का सदस्य रहते हुए मृतक मंगलसिंह के शव का पोस्टमार्टम किया जाना, मृतक के सीने के बांई ओर घाव होना, मृतक की मृत्यु मेडिकल बोर्ड की राय अनुसार गनशॉट के कारण अत्यधिक खून बह जाने से हुए आघात से होना एवं मृत्यु 12 घंटे के भीतर होने के कथन किये हैं। उक्त साक्षीगण ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 पर अपने अपने हस्ताक्षर होना कथन करते हुए पोस्टमार्टम रिपोर्ट को प्रमाणित किया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट प्रदर्श पी 21 के अवलोकन से भी यह प्रकट होता है कि उक्त रिपोर्ट में मृतक मंगलसिंह की मृत्यु गनशॉट घाव से हुए आघात के कारण होना अंकित किया गया है। जहां तक आहत बूटासिंह के गोली लगने से चोटिल होने का प्रश्न है, इस संबंध में पी डब्ल्यू 18 डॉ. पवन गोयल ने अपनी साक्ष्य में उसी दिन पुलिस प्रतिवेदन पर बूटासिंह का चिकित्सीय परीक्षण कर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी 24 तैयार करना, बूटासिंह के शरीर पर कुल चार चोटें कारित होना और चोटों की अवधि 12 घंटे के भीतर होने का कथन किया है। उक्त साक्षी ने उक्त चोटों की प्रकृति के बारे में राय मांगे जाने पर प्रदर्श पी 28 द्वारा अपनी राय दिया जाना और बूटासिंह की चोट संख्या 3 प्राणघातक होने की राय दिये जाने का भी कथन किया है। इस संबंध में प्रदर्श पी 28 का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि डॉ. पवन गोयल द्वारा उक्त राय में यह अंकित किया गया है कि बूटासिंह के चोट प्रतिवेदन में दर्शायी गई क्रम संख्या 3 की चोट फायर आर्म्स से आई है और उपरोक्त चोट प्राणघातक हो सकती है। उक्त साक्षी ने चोट प्रतिवेदन बूटासिंह प्रदर्श पी 24 व राय प्रदर्श पी 28 पर स्वयं के हस्ताक्षर होना कथन करते हुए उक्त दस्तावेज को प्रमाणित किया है। विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा में उक्त साक्षीगण अपने मुख्य परीक्षा में किये गये कथनों पर स्थिर रहे हैं और दौराने प्रतिपरीक्षा ऐसा कोई कथन नहीं

किया है जिससे उनके द्वारा साक्ष्य में किये गये कथनों पर अविश्वसनीयता का बीजारोपण किया जा सके। दौरान बहस विद्वान अधिवक्ता अभियुक्तगण की ओर से भी मंगलसिंह की मृत्यु होने एवं बूटासिंह के प्राणघातक चोट लगने के तथ्य को विवादित नहीं किया गया है। इस प्रकार पत्रावली पर इस तथ्य के संबंध में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है कि दिनांक 04.08.2012 को मंगलसिंह को गोली लगने से उसकी मृत्यु हुई और आहत बूटासिंह के गोली लगने से वह चोटिल हुआ।

25. अब न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्तगण नसीबसिंह उर्फ गोरा, तेजसिंह उर्फ तेजी व हरवंतसिंह के द्वारा ही अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में मंगलसिंह एवं बूटासिंह पर पिस्तोल से फायर किये गये जिससे मंगलसिंह की गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई और बूटासिंह के प्राणघातक उपहति कारित हुई ? इस संबंध में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि हस्तगत प्रकरण मृतक मंगलसिंह की माता सर्वजीतकौर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 6 पर दर्ज हुआ है। उक्त प्रार्थना पत्र में परिवादीया सर्वजीतकौर ने यह अंकित किया है कि दिनांक 04.08.2012 को सुबह करीब चार बजे हरविन्द्रसिंह, मलकीतसिंह व जस्सासिंह उसके लड़के मंगलसिंह को गाड़ी में बैठाकर ले गये और सुबह करीब साढे 6 सात बजे जस्सासिंह वापिस उसके घर पर आया और उसे बताया कि मंगलसिंह का एक्सीडेंट हो गया है और उसे लेकर अनूपगढ अस्पताल आये, जहां उसे पता चला कि उसके लड़के मंगलसिंह को गोली लगी है जिससे वह मर गया है। परिवादीया सर्वजीतकौर ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी अंकित किया है कि उसके लड़के को हरविन्द्रसिंह आदि ने गोली मार कर मार दिया है जो उसे घर से लेकर गये थे। उक्त सर्वजीतकौर को अभियोजन पक्ष की ओर से पी डब्ल्यू 7 के रूप में पेश कर परीक्षित करवाया गया है। परिवादीया पी डब्ल्यू 7 सर्वजीतकौर ने अपनी साक्ष्य में मलकीतसिंह, हरविन्द्रसिंह व जस्सासिंह द्वारा उसके लड़के मंगलसिंह को अपने साथ ले जाना और बाद में लड़के को गोली मार दिये जाने का कथन किया है। इस साक्षी ने दौराने प्रतिपरीक्षा यह स्वीकार किया है कि उसने प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 6 सोच समझकर सही बोलकर लिखवाया था और वह हाजिर अदालत मुलजिमान को नहीं जानती है। इस प्रकार स्वयं प्रकरण की परिवादीया एवं मृतक मंगलसिंह की माता अपने लड़के मंगलसिंह की हत्या मलकीतसिंह, हरविन्द्रसिंह व जस्सासिंह द्वारा किये जाने का कथन करती है और हस्तगत प्रकरण के मुलजिमान को जानने से इंकार

करती है जबकि प्रकरण के अनुसंधानाधिकारी पी डब्ल्यू 21 अमरजीत चावला ने अपनी साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट में वर्णित मुलजिमान मलकीतसिंह, हरविन्द्रसिंह, जस्सासिंह आदि उसके अनुसंधान में मुलजिम नहीं पाये गये। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से ही परीक्षित साक्षीगण की ओर से दो भिन्न-भिन्न परस्पर विरोधाभासी तथ्य प्रकट किये गये हैं जिससे अभियोजन कनाथक पर संदेह उत्पन्न होता है।

26. अभियोजन कथानक के अनुसार, जैसा कि अभियुक्तगण के विरूद्व प्रस्तुत आरोप पत्र में वर्णित किया गया है, मलकीतसिंह का अभियुक्तगण के साथ अपनी जमीन के रास्ते को लेकर विवाद था और इसी विवाद के संबंध में अभियुक्तगण तेजसिंह, नसीबसिंह और हरवंतसिंह ने मंगलसिंह वगैरा की तरफ फायर कर दिया जिससे मंगलसिंह की मृत्यु हो गई और बूटासिंह के छर्रे लगे। इस संबंध में प्रकरण के अनुसंधानाधिकारी पी डब्ल्यू 21 अमरजीत चावला ने अपनी मुख्य परीक्षा में उक्त तथ्यों की पुष्टि की है और मलकीतसिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 3 के आधार पर प्रकरण में अभियुक्तगण पर आरोप प्रमाणित पाये जाने का कथन किया है। दौराने प्रतिपरीक्षा अनुसंधानाधिकारी ने यह स्वीकार किया है कि प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 3 में नसीबसिंह व अन्य किसी मुलजिम द्वारा पिस्तोल से फायर करने का आरोप नहीं था और न ही हरवंतसिंह का नाम प्रार्थना पत्र में दर्ज था। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि अभियुक्तगण की मंगलसिंह से कोई दुश्मनी नहीं थी। इस साक्षी ने यह भी स्वीकार किया है कि उसके अनुसंधान में मलकीतसिंह द्वारा भी सामने से फायर करना प्रमाणित पाया गया है परन्तु उसके द्वारा मलकीतसिंह के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। जहां तक मलकीतसिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 3 प्रस्तुत किये जाने का प्रश्न है, उक्त मलकीतसिंह पी डब्ल्यू 3 ने पक्षद्रोही होकर अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है और अपनी साक्ष्य में यह कथन करता है कि उसका अभियुक्तगण के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ। उसने पुलिस थाना अनूपगढ में मुकदमा दर्ज करने के लिये कोई प्रार्थना पत्र नहीं दिया। वह मंगलसिंह को नहीं जानता है और न ही उसे ध्यान है कि उसकी मृत्यु कैसे हुई । इस साक्षी ने अभियुक्तगण व उसके भाई के साथ रास्ते को लेकर उसका कोई विवाद होने और उस विवाद को लेकर अभियुक्तगण द्वारा उन पर बंदूक से गोलियां चलाये जाने से भी स्पष्ट इंकार किया है। इस साक्षी ने दौराने साक्ष्य अभियुक्तगण को जानने से ही इंकार

किया है। इस साक्षी ने पुलिस थाना में उसके खाली कागजों पर हस्ताक्षर करवाये जाने और प्रार्थना पत्र प्रदर्श पी 3 में क्या लिखा है, उसकी जानकारी होने से भी स्पष्ट इंकार किया है। इसी प्रकार प्रकरण के आहत पी डब्ल्यू 1 बूटासिंह ने भी पक्षद्रोही होकर अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं की है और अपनी साक्ष्य में अभियोजन कथानक के विपरीत मलकीतसिंह, मंगलसिंह व जस्सासिंह द्वारा फायर किये जाने का कथन किया है। यद्धपि इस साक्षी ने सामने से भी दो तीन फायर किये जाने का कथन किया है परन्तु उक्त फायर किसके द्वारा किये गये और मंगलसिंह के किसकी गोली लगी, इस तथ्य की जानकारी होने से इंकार किया है। इस साक्षी द्वारा अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया गया है कि अभियुक्तगण के द्वारा उस पर अथवा मंगलसिंह पर गोलियां चलाई गई हो।

27. अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र में जसविन्द्रसिंह , विरेन्द्रसिंह, मिठूसिंह व जसवंतसिंह को घटना का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी होना दर्शाया गया है। उक्त जसविन्द्रसिंह उर्फ सोनू पी डब्ल्यू 4 व विरेन्द्रसिंह पी डब्ल्यू 5 ने भी पक्षद्रोही होकर अभियोजन कथानक की पुष्टि नहीं की है और अपनी साक्ष्य में दिनांक 03.08.2012 व 04.08.2012 की रात्रि को मलकीतसिंह के साथ हाजिर अदालत मुलजिमान के खेत में रास्ता बनाने के लिये जाने और उस रोज किसी लड़ाई झगड़ा होने या किसी की मृत्यु होने की बात सुनने से इंकार किया है। इसी प्रकार पी डब्ल्यू 11 मिठूसिंह व पी डब्ल्यू 12 जसवंतसिंह ने भी अपनी साक्ष्य में दिनांक 04.08.2012 की रात्रि को गुरतेजसिंह और मलकीतसिंह के खेत में झगड़ा या फायर होते देखना और मंगलसिंह के गोली लगकर हत्या होते हुए देखने से स्पष्ट इंकार किया है। इसी प्रकार घटना के अन्य प्रत्यक्षदर्शी साक्षी पी डब्ल्यू 6 जयप्रकाश ने अपनी साक्ष्य में अभियुक्तगण को जानने से इंकार किया है और दिनांक 03.08.2012 को अपने सामने कब्जे के विवाद को लेकर गोलीबारी होने और मंगलसिंह की मृत्यु होने से इंकार किया है। इसी प्रकार पी डब्ल्यू 8 कृपालकौर ने अपनी साक्ष्य में घटना के बारे में किसी प्रकार की जानकारी होने और मुकदमा में अपने सामने कोई भी कार्यवाही होने से स्पष्ट इंकार किया है। इसी प्रकार पी डब्ल्यू 9 अवतारसिंह ने भी प्रकरण की कोई भी व्यक्तिगत जानकारी उसे होने से इंकार किया है। अभियोजन साक्षी पी डब्ल्यू 10 मोहनसिंह ने अपनी साक्ष्य में दिनांक 03.08.2012 को रास्ता बनाने को लेकर झगड़ा होने, फायर किये जाने और मुलजिमान द्वारा मंगलसिंह की मृत्यु किये जाने से स्पष्ट इंकार किया है।

28. इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से परीक्षित किसी भी साक्षी का यह कथन नहीं रहा है कि अभियुक्तगण नसीबसिंह, तेजसिंह उर्फ तेजी व हरवंतसिंह द्वारा मंगलसिंह व बूटासिंह की मृत्यु कारित करने के आशय से उन पर पिस्तोल/बंदूक से फायर किये गये हों और उक्त फायर के फलस्वरूप मंगलसिंह के गोली लगने से उसकी मृत्यु हो गई हो और बूटासिंह के गोली लगने से प्राणघातक चोट लगी हो। स्वयं आहत बूटासिंह पी डब्ल्यू 1 ने अपनी साक्ष्य में ऐसा कोई कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण के द्वारा गोली चलाकर उसे चोटिल किया गया हो। इस प्रकार अभियोजन पक्ष की ओर से पत्रावली पर ऐसी कोई सुदृढ, विश्वसनीय व अखंडनीय प्रत्यक्ष साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है जिससे यह साबित हो कि उक्त अभियुक्तगण के द्वारा अपने सबके सामान्य आशय के अग्रसरण में रास्ते के विवाद को लेकर मंगलसिंह व बूटासिंह की मृत्यु कारित करने के आशय से उन पर पिस्तोल/बंदूक से फायर किये गये हों एवं फायर लगने से मंगलसिंह की मृत्यु हो गई हो और आहत बूटासिंह की हत्या का प्रयत्न किया गया हो। न्यायालय के विनम्र मत में अभियोजन साक्ष्य से यह साबित नहीं है कि उक्त अभियुक्तगण द्वारा वरवक्त घटना पिस्तोल–बंदूक से फायर किये गये, ऐसी स्थिति में अभियुक्त तेजसिंह व नसीबसिंह द्वारा आयुध लाईसेंस की शर्तों का उल्लंघन किया गया हो, यह भी प्रमाणित नहीं होता है।

29. उपरोक्त विवेचनानुसार सुदृढ विश्वसनीय साक्ष्य के अभाव में अभियोजन कहानी संदेह से ग्रसित हो जाती है तथा संदेह का साम्य अभियुक्तगण के पक्ष में जाने के कारण यह नहीं माना जा सकता कि अभियोजन पक्ष द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्व आरोपित आरोप दृढ, विश्वसनीय व प्रत्यक्ष साक्ष्य द्वारा प्रमाणित किया गया हो। ऐसी स्थिति में अभियुक्त नसीबसिंह उर्फ गोरा को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, अभियुक्त तेजसिंह उर्फ तेजी को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 27 आयुध अधिनियम एवं अभियुक्त हरवंतसिंह को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34, 307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

– :: आ दे श :: –

30. परिणामतः (1) अभियुक्त नसीबसिंह उर्फ गोरा पुत्र उजागरसिंह, निवासी 3 बी बी (ए), पुलिस थाना गजसिंहपुर जिला श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34,307/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 3/25 आयुध अधिनियम, (2) अभियुक्त तेजसिंह उर्फ तेजी पुत्र मखनसिंह, निवासी चक 19–ए ढाणी, पुलिस थाना अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34,307/34 भारतीय दण्ड संहिता व धारा 27 आयुध अधिनियम एवं (3) अभियुक्त हरवंतसिंह पुत्र हरनेकसिंह, निवासी चक 19–ए ढाणी, पुलिस थाना अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर को अपराध अन्तर्गत धारा 302/34,307/34 भारतीय दण्ड संहिता के आरोप से संदेह का लाभ देकर **दोषमुक्त घोषित** किया जाता है। उक्त अभियुक्तगण जमानत पर है, अतः अभियुक्तगण की नियमित उपस्थिति बाबत् प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

31. अभियुक्तगण को निर्देश दिया जाता है कि प्रत्येक अभियुक्त इस निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति के लिये धारा 437–ए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत् 20,000/–रूपये (बीस हजार रूपये) की जमानत व इसी कदर राशि का स्वयं का मुचलका इस न्यायालय में प्रस्तुत कर तस्दीक करावे।

32. प्रकरण में जब्तशुदा वजह सबूत बाद गुजरने मियाद अपील, अपील नहीं होने की दशा में बंदूक अभियुक्त तेजसिंह उर्फ तेजी को नियमानुसार सुपुर्द कर दी जावे, पिस्तोल **जिला शास्त्रागार** जिला कलेक्टर, श्रीगंगानगर में जमा करवाया जावे तथा खून आलूदा कपड़े व छर्रे नियमानुसार नष्ट कर दिये जावे।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

33. निर्णय आज दिनांक 01.06.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{डॉ. मनीष कुमार अग्रवाल}
अपर सेशन न्यायाधीश संख्या–01
अनूपगढ़, जिला–श्रीगंगानगर

Signature Not Verified
Digitally signed by
Date: 2026.06.02 08:57:24 IST